रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266533
CG-DL-E-29092025-266533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4242] नई दिल्ली,बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947
No. 4242] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

का.आ. 4361(अ).— केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) नवाँ संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में, खंड 29 में, "विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला" में, उप-खंड (1ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1ग) किसी निरीक्षक द्वारा लिया गया जैव प्रेरक नमुना केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद या उसकी प्रादेशिक प्रयोगशालाओं- मुंबई, चेन्नई और कल्याणी; राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद; केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर; कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम; और राष्ट्रीय

कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो, मऊ या केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी अन्य प्रयोगशाला में अनुसूची VI के भाग ग में अंतर्विष्ट की गयी प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषित किया जायेगा। "

[फा. सं. 7-13/2024 (उर्वरकविधि/बीएससी)]

फ्रैंकलिन एल. खोबुंग, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र में सा. का. नि. संख्यांक 758 (अ), तारीख 25 सितंबर, 1985, द्वारा प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार संख्या का. आ. 3743 (अ) तारीख 13 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department Of Agriculture And Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 24th September, 2025

S.O. 4361(E). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Ninth Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, in clause 29, relating to “ Laboratory for Analysis” , for sub-clause (1C), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(1C) A biostimulant sample drawn by an inspector shall be analysed, in accordance with the procedure contained in Part C of Schedule VI, in the Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad or its regional laboratories at Mumbai, Chennai and Kalyani, National Institute of Plant Health Management, Hyderabad, Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar, Institute of Pesticide Formulation Technology, Gurugram and National Bureau of Agriculturally Important Microorganisms, Mau or in any other laboratory notified for this purpose by the State Government with prior approval of the Central Government.”

[F. No. 7-13/2024(Fertlaw/BSC)]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India vide G.S.R. number 758(E), dated the 25th September, 1985 and was last amended vide number S.O. 3743(E), dated 13th August, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA